(Speed Post) संख्याः 1611/xxiv–3/2017/01(15)2017

प्रेषक,

डा0भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 25 जनवरी, 2018

विषयः **डिफैन्स पब्लिक स्कूल छरबा, विकासखण्ड सहसपुर, देहरादून को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के प्रस्ताव संख्या–आंग्ल भाषा/27105/2017–18 दिनांक 27 नवम्बर, 2017 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कह का निदेश हुआ है कि **डिफैन्स पब्लिक स्कूल छरबा, विकासखण्ड सहसपुर, देहरादून को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली** से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों त अधीन आपत्ति नहीं है।

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त स्कूल द्वा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
(ख) विद्यालय की पंजीकरण सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
(घ) विद्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लि पर्याप्त स्थान यथा निर्दिष्ट सुरक्षित रहेंगे।
(ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यी विद्यालय पूर्व में विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय व सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार द इण्डियन स्कू सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्रा होने की तिथि से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदा जैसी स्थिति हो, स्वतः समाप्त हो जायेगें।
(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं त कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दि जायेगे।
(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्रा अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपल कराये जायेंगे।
(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था/स्कूल उनका पाल करेगी।
(झ) विद्यालय तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
(ट) उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं कि जायेगा।

PRINCIPAL
DEFENCE PUBLIC SCHOOL
CHHARBA, SAHASPUR
DEHRADUN (UTTARAKHAND)

प्रबन्धक
डिफैन्स पब्लिक स्कूल
छरबा

क्रमशः...2

(ठ) संस्था/विद्यालय में शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर वे ही शिक्षक/कर्मचारी रखे जा सकेगें जो राजव सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में रखे जाने हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण करते हों, अथ अप्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता से अन्यून शिक्षक/कर्मचारियों को विद्यालय में समायोजि नही किया जायेगा तथा ऐसा पाये जाने पर अनापत्ति वापस ले ली जायेगी।

2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है तथा स्कूल प्रबंधन द्वारा ि गये शपथ पत्र में कोई असत्य कथन किया गया है या तथ्यों को छुपाकर कथन किया गया है जो य नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जबावदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शि अधिकारी का होगा एवं साथ ही दी जा रही अनापत्ति निरस्त/वापस कर ली जायेगी तथा स्कूल प्रबं एवं संबधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही जायेगी।

3. उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कि जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो रा सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरक प्रायोजित कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE(Unified District Information System In Education) सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

6. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा एवं बच्चों की सुरक्षा हे सभी आवश्यक कदम स्कूल प्रबन्धक द्वारा अनिवार्य रूप से उठाये जायेंगें एवं इस दिशा में समय–समय प मा0 न्यायालय एवं सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। विद्याल प्रबंधन की चूक से विद्यालय में अध्ययनरत किसी बच्चे की सुरक्षा खण्डित होने अथवा बच्चों को जान–मा का नुकसान होने पर विद्यालय प्रबधक के विरूद्व नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही किये जाने का अधिक राज्य सरकार को होगा एवं प्रतिकूल स्थिति होने पर अनापत्ति प्रत्यावर्तित/निरस्त कर दी जायेगी।

7. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सम यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–प वापस ले लिया जायेगा।

भवदीया,

(डा0भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांक संख्या–1611(1)/xxiv–3/2017/01(15)2017,तद्दिनांक.
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
(1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

PRINCIPAL
DEFENCE PUBLIC SCHOOL
CHHARBA, SAHASPUR
DEHRADUN (UTTARAKHAND)

प्रबन्धक
डिफेन्स पब्लिक स्कूल
छरबा

क्रमशः...3

(2) जिलाधिकारी, देहरादून।
(3) अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
(4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
(5) प्रधानाचार्य, डिफैन्स पब्लिक स्कूल छरबा, विकासखण्ड सहसपुर, देहरादून।
(6) गार्ड फाइल

आज्ञा से,
(महिमा)
उप सचिव।

PRINCIPAL
DEFENCE PUBLIC SCHOOL
CHHARBA, SAHASPUR
DEHRADUN (UTTARAKHAND)

प्रबन्धक
डिफैन्स पब्लिक स्कूल
छरबा